कार्यालय जिला न्यायाधीश (नजारत अनुभाग), अलीगढ़

ठेका / नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय के आदेश दिनांकित 12.03.2024 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के मुख्यालय परिसर में **एक चाय-कैंटीन, एक फल-चाट की दुकान, पाँच फोटोस्टेट मशीन की दुकान, एक फोटोग्राफी की दुकान** एवं **एक चना-चबैना की दुकान** के ठेका की नीलामी दिनांक **20.03.2024** को समय सायं **04:30** बजे जनपद न्यायालय**,** अलीगढ़ परिसर के लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार में होगी । ठेका लेने के इच्छुक व्यक्तियों को हैसियत, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व फोटो की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, साथ ही इससे सम्बन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिये दिखाना होगा । बतौर जमानत धनराशि मु० 20,000/- रूपये जमा करने के पश्चात बोली बोलने का अधिकार प्राप्त होगा । जिस व्यक्ति की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी वह नियत प्रारूप पर एक संविदा 100/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करेगा । उक्त दुकानों के ठेका की नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तों की अधिक जानकारी जनपद न्यायालय, अलीगढ़ की अधिकृत बेवसाइट **https://districts.ecourts.gov.in/aligarh** एवं शासकीय बेवसाइट **https://aligarh.nic.in** के माध्यम से व केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है ।

दिनांक:- 13.03.2024

13.3.2024

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
अपर जिला जज, कोर्ट सं०-03
अलीगढ़ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय को सादर सूचनार्थ ।
2. जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
3. सिविल व फौजदारी बार एसोशियेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
4. कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
5. नगर निगम, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु ।
6. भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
7. जिला पंचायत, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ की शासनादेश सं० 562/19-02-2007-1007/74 (T.C.) dated: July 4, 2007 के सन्दर्भ में उक्त विज्ञप्ति / सूचना का प्रकाशन अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाले कम से कम दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ की उक्त विज्ञप्ति / सूचना को https://aligarh.nic.in की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
10. नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर्स को इस अनुरोध के साथ की उक्त विज्ञप्ति / सूचना को जिला न्यायालय, अलीगढ़ की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।

13.3.2024

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
अपर जिला जज, कोर्ट सं०-03
अलीगढ़ ।